राजस्थान – सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0जयपुर।

क्रमांक :– सीबी/सीएएस/2018/688 दिनांक : 28/11/18

–:परिपत्र:–

निदेशालय के ध्यान में आया है कि जिलों में समय–समय पर जिला कलक्टरों द्वारा अपने स्तर से चिकित्सकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तथा उन कार्यवाहियों का निस्तारण भी कर दिया जाता है किन्तु इसकी सूचना निदेशालय को प्राप्त नहीं होती है अथवा जो प्राप्त होती है वह अपूर्ण प्राप्त होती है अर्थात आरोप पत्र/ज्ञापन की प्रति प्राप्त होती है किन्तु उसके निस्तारण की सूचना प्राप्त नहीं होती है। इस क्रम में राज्य स्तर से यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि समस्त जिलों से यह सूचना संकलित की जावे कि जिला कलक्टरों द्वारा किस–किस चिकित्सक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है तथा उनमें से कितने प्रकरणों का निस्तारण उनके द्वारा किया जा चुका है। अतः सीएमएचओ/पीएमओ वांछित सूचना संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन को उपलब्ध करायेंगें तथा वे सूचना संकलित कर अधो–हस्ताक्षरकर्ता को लौटती डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें, साथ ही आगे भी समय–समय पर इस प्रकार की सूचना से निदेशालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें। इसकी पालना कठोरता से की जावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– सीबी/सीएएस/2018/688 दिनांक : 28/11/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन आने वाले सभी जिला संस्थानों से उक्त सूचना प्राप्त कर समय–समय पर तुरन्त अधो–हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।